रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022025-261144 CG-DL-E-18022025-261144

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]

No. 104]

नई दिल्ली मंगलवार, फरवरी 18, 2025/माघ 29, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, FERUARY 18, 2025/ MAGHA 29, 1946

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2025

सा.का.िन. 138(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (क) और धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (आयोग के अन्य संबद्ध सदस्य) नियम, 2023 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (आयोग के अन्य संबद्ध सदस्य) संशोधन नियम, 2025 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें।
- 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (आयोग के अन्य संबद्ध सदस्य) नियम, 2023 के नियम 2 में, —
  - (i) खंड (ज) में, हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है;

1258 GI/2025 (1)

(ii) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

"(ञ) केंद्रीय सरकार द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट वायु प्रदूषण संबंधी कोई विषय विशेषज्ञ ।"।

[फा. सं. क्यू-15014/06/2022-सीपीए]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (1) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 116 (अ), तारीख 21 फरवरी. 2023 द्वारा प्रकाशित किए गिए थे।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2025

- **G.S.R. 138(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 25 and clause (h) of sub-section (3) of section 3 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Other Associated Members of the Commission) Rules, 2023, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Other Associated Members of the Commission) Amendment Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Other Associated Members of the Commission) Rules, 2023, in rule 2, -
  - (i) in clause (h), for the words "Dairying; and" the word "Dairying;" shall be substituted;
  - (ii) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-
    - "(j) any subject expert on air pollution as nominated by the Central Government.".

[F. No. Q-15014/06/2022-CPA]

VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

**Note.-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 116(E), dated the 21 February, 2023